न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/354

छीतर आत्मज श्री रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मोडू आत्मज रघुनाथ जाति कुम्हार निवासी ग्राम पागलहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विद्याशंकर गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1215/1630 की 1.01 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1216 की 1.88 हैक्टर कुल 02 किता की 2.89 हैक्टर भूमि में सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के संभाग से संयुक्त खातेदारी की है । उक्त भूमि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की होने से पक्षकारान को उक्त भूमि को काश्त करने तथा लगान आदि जमा कराने में तथा अपने हिस्से की आराजी का विकास कराने में काफी परेशानी आती है एवं लडाई झगडा की संभावना बनी रहती है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की भूमि पृथक खाते दर्ज करावे तथा लगान पृथक से कायम करवाये ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी एंव प्रतिवादी कम 1 के मध्य वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादी का पृथक खाता व पृथक लगान राजस्व रिकॉर्ड में

अमल दरामद किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के 1/2 हिस्से की आराजी पर वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे न अन्य से करावे और वादी को अपने हिस्से की आराजी से कब्जे काश्त से नहीं रोके तथा न ही उक्त भूमि से वादी को बेदखल करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को लोक अदालत की कोई जानकारी नहीं थी और न ही इस बाबत् अपीलान्ट को न्यायालय से कोई नोटिस आया तथा लोक अदालत में बिना किसी सुनवाई के वादी रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री कर दिया । वादग्रस्त आराजी के लिए अपीलान्ट की मॉ द्वारा एक वसीयत दिनांक 21.09.1998 को ग्राम पंचायत के सरपंच के समक्ष रूबरू गवाहान करवाई थी । उक्त वसीयत की फोटो प्रति अपने जवाब के साथ प्रस्तुत की थी । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट का वाद डिक्री किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थी पेशे से काश्तकार व्यक्ति है जो कि अपनी फसल बेचने कोटा मण्डी में दिनांक 18.05.2017 को आ रहा था किन्तु ट्रेक्टर पर चढते समय पैर फिसल जाने के कारण वह नीचे गिर गया जिससे उसके पांव पर चोट आई जिसके फलस्वरूप उसके फेक्चर हो गया तथा वह चलने–फिरने में लाचार हो गया और 08 महीने तक ईलाज चलता रहा । इसके पश्चात् दिनांक 12.06.2018 को प्रार्थी कोटा स्थित वकील साहब के घर पर आया जहॉ उसे वकील साहब ने निर्णय की जानकारी दी जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित था । इसे लोक अदालत में रखा गया, लोक अदालत में न तो पक्षकार उपस्थित हुए और न ही पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया और लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दाव वादी डिक्री किया है । सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट ने जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया था । प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में वसीयत है इस समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । काउन्टर क्लेम पर भी कोई तनकी कायम नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने फर्जी वसीयत के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश किया है । वादग्रस्त आराजी में वादी और प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है । तद्नुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन दावा स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । पक्षकारान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कोई विधिक राजीनामा भी पेश नहीं किया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एंव जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के आधार पर भी अतिरिक्त तनकीयात कायम की जावे और तनकीयात पर उभय पक्षकारान को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.05.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 05.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा